

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इनर लाइन परमिट

चूंकि, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में COVID-19 की स्थिति "नियंत्रण में" है और इसे देखते हुए, पर्यटन क्षेत्र को फिर से खोलने हेतु, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा यात्रियों के लिए 'इनर लाइन परमिट' (Inner Line Permits – ILP) और 'संरक्षित क्षेत्र परमिट' जारी करने पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया गया है।

इनर लाइन परमिट (ILP) क्या है?

इनर लाइन परमिट, गैर-मूल निवासियों के लिए ILP प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित राज्य में प्रवेश करने अथवा ठहरने हेतु आवश्यक दस्तावेज होता है।

वर्तमान में, पूर्वोत्तर के चार राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में ILP प्रणाली लागू है। लक्षद्वीप में प्रवेश करने के लिए भी 'इनर लाइन परमिट' अनिवार्य है।

इनर लाइन परमिट के द्वारा, किसी गैर-मूल निवासी के लिए, राज्य में ठहरने की अवधि तथा भ्रमण करने के क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है।

ILP को संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

'इनर लाइन परमिट' केवल घरेलू पर्यटकों के लिए मान्य होता है।

'इनर-लाइन परमिट' का तर्कधार

इनर लाइन परमिट, 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट' (BEFR) 1873 का एक विस्तार है। यह अंग्रेजों द्वारा कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगाने वाले वाले नियम हैं।

अंग्रेजों द्वारा पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा करने के बाद, उपनिवेशवादियों ने आर्थिक लाभ के लिए इस क्षेत्र और इसके संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय बागान लगाए और तेल उद्योग शुरू किए।

पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली स्थानीय जनजातियाँ नियमित रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित चाय बागानों, तेल के कुओं और व्यापारिक चौकियों पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देती थी। इसलिए ये नियम, ब्रिटिश शासन के हितों की सुरक्षा हेतु कुछ राज्यों में 'ब्रिटिश प्रजा' अर्थात् भारतीयों को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोकने हेतु बनाए गए थे, और इसी संदर्भ में BEFR 1873 को लागू किया गया था।

जल जीवन मिशन (JJM)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर हितधारकों को और जागरूक बनाने तथा मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल जीवन मिशन (JJM) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है।

प्रधान मंत्री ने 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष' की भी शुरुआत की, जिसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था, निगम, या परोपकारी, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, प्रत्येक ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम शाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से जल पहुँचाने में मदद करने के लिए योगदान दे सकता है।

'जल जीवन मिशन' के बारे में:

'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission) के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional House Tap Connections-FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

यह अभियान, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है:

गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

अंतर्गत आने वाले गांवों, आदि में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) लगाए जाने को प्राथमिकता देना। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। जल-गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।

कार्यान्वयन:

‘जल जीवन मिशन’, जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया है।

इस मिशन का उद्देश्य, जल के लिए एक जन-आंदोलन तैयार करना है, जिसके द्वारा यह हर किसी की प्राथमिकता में शामिल हो जाए।

इस मिशन के लिए, केंद्र और राज्यों द्वारा, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत प्रदर्शन:

अब तक, 772,000 (76 प्रतिशत) स्कूलों और 748,000 (67.5 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘नल के पानी की आपूर्ति’ सुनिश्चित की जा चुकी है।

ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र

असम के गुवाहाटी में लगभग 150 साल पुराने बंगले में, ‘ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र’ (Brahmaputra River Heritage Centre) की स्थापना की गई है।

यह बंगला, 17वीं सदी में अहोम शासकों का ‘सैन्य कार्यालय’ हुआ करता था।

इसे बड़फुकनार टीला (Barphukanar Tila) भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है बड़फुकन की पहाड़ी।

‘बड़फुकन’, अहोम राजा प्रताप सिम्हा या सुसेंगफा (1603-1641) द्वारा सृजित गवर्नर जनरल के समकक्ष पद था।

ब्रह्मपुत्र के नजदीक स्थित इस पहाड़ी का उल्लेख प्राचीन धर्मग्रंथों में मंदराचल के रूप में किया गया है। इसी स्थान से मार्च 1671 में अहोम सेनापति ‘लचित बड़फुकन’ ने सरायघाट की लड़ाई शुरू की थी, जिसमें उसने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया था।

सरायघाट को “नदी में लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई” के रूप में माना जाता है।

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM Poshan Shakti Nirman Scheme)

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा ‘छात्रों को सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु जारी वर्तमान ‘मध्याह्न भोजन योजना’ (Mid-Day Meal scheme) का नाम परिवर्तन कर ‘राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना’ (National Scheme for PM Poshan Shakti Nirman) कर दिया गया है।

‘पीएम पोषण योजना’ में प्रमुख प्रस्ताव:

पूरक पोषण (Supplementary nutrition): नई योजना में आकांक्षी जिलों और उच्च रक्ताल्पता वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

राज्य द्वारा आहार तय करने का निर्णय: इसके तहत मुख्यतः केंद्र की ओर से, केवल गेहूं, चावल, दाल और सब्जियों के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया गया है। वर्तमान में, यदि कोई राज्य, आहार-सूची में दूध या अंडे जैसे किसी भी अन्य सामग्री को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र द्वारा अतिरिक्त लागत का वहन नहीं किया जाता है। नयी योजना के तहत अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।

पोषण उद्यान (Nutri-gardens): सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इन बगीचों की फसल का

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

उपयोग मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है।

महिलाएं और किसान उत्पादक संगठन (FPOs): आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला स्वयं-सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सामाजिक लेखा परीक्षा: इस योजना के जमीनी स्तर पर निष्पादन हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।

तिथि-भोजन (Tithi-Bhojan): तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है, जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं।

स्कूलों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: पारदर्शिता को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए अन्य प्रक्रियात्मक परिवर्तनों में, राज्यों को प्रत्येक स्कूल के खातों में खाना पकाने की लागत का प्रत्यक्ष लाभ नकद अंतरण करने के लिए कहा जाएगा, और मानदेय राशि रसोइयों और सहायकों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।

समग्र पोषण (Holistic nutrition): इस पुनर्निर्मित योजना का उद्देश्य "समग्र पोषण" लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत, स्कूली पोषण उद्यानों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

‘मध्याह्न भोजन योजना’ के बारे में:

यह योजना, सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है।

इस योजना के अंतर्गत, आठवीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।

इस योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।

इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम (National Programme of Nutritional Support to Primary Education: NP-NSPE) के रूप में शुरू किया गया था।

वर्ष 2004 में, इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

भूख और कुपोषण को दूर करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, विभिन्न जातियों के मध्य समाजीकरण में सुधार करना, जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।

मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) नियम 2015 के अनुसार:

बच्चों को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा।

खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारणवश, विद्यालय में पढाई के किसी भी दिन यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

पोषण संबंधी मानक:

मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिए जायेंगे, तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान है।

MHRD के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन में, 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा सम्मिलित की जायेगी। उच्च-प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के भोजन में, 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल और वसा को अनिवार्य किया गया है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाइड्रोजन के किफायती उत्पादन हेतु सौर-प्रकाश और पानी का उपयोग करके रिएक्टर का विकास

वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार एक बड़े पैमाने का रिएक्टर विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश और पानी जैसे स्थायी स्रोतों का उपयोग करके पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जो एक किफायती और लंबे समय तक कायम रह सकने वाली प्रक्रिया है।

वैज्ञानिकों ने इसके लिए पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बन नाइट्राइड नामक रसायन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया है।

यह कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की TDP परियोजना द्वारा समर्थित है।.....

रिएक्टर की कार्यविधि:

वैज्ञानिकों की टीम ने कार्बन नाइट्राइड्स में कम लागत वाले ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया, जिसे इसके सस्ते पूर्ववर्ती, जैसे यूरिया और मेलामाइन, का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

जब इस अर्धचालक पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र (Holes) उत्पन्न होते हैं।

इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कम कर हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, वहीं रासायनिक एजेंटों, जिन्हें सेक्रिफिशल एजेंट (Sacrificial Agents) कहते हैं, के द्वारा छिद्रों को भरा जाता है।

अगर इन छिद्रों को भरा नहीं जाये तो, वे इलेक्ट्रॉनों के साथ फिर से जुड़ जाएंगे।

रिएक्टर लगभग 1 वर्ग मीटर का है, और जहां पर जल प्रवाह बनाये रखा जाता है, प्रकाश उत्प्रेरक का पैनेलों के रूप में लेप किया गया।

प्राकृतिक रूप से प्राप्त सूर्य के प्रकाश के विकिरण पर, हाइड्रोजन का उत्पादन होता है और गैस क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से इसकी मात्रा निर्धारित की जाती है।

इस उपलब्धि का महत्व:

इस तरह से उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है, जैसेकि उदहारण के तौर पर, दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में 'फ्यूल सेल' के माध्यम से बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन स्टोव और छोटे गैजेट्स को बिजली देना आदि।

आने वाले समय में, इसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मर और ई-वाहनों को ईंधनजा सकता है, जो कि जारी अनुसंधान के दीर्घकालिक लक्ष्य है।

आगे की राह:

अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, पीएम ने नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन उत्पन्न करने की योजना में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया था।

भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, वर्तमान परिदृश्य में, दुनिया भर के शोधकर्ता ऐसे अक्षय ऊर्जा समाधानों की दिशा में काम कर रहे हैं जो सीमित कार्बन उत्सर्जन के साथ लंबे समय तक जारी रखे जा सकें।

UNECE जल सम्मेलन और सेनेगल-मॉरिटानियाई जलभृत बेसिन

(UNECE Water Convention and Senegal-Mauritanian Aquifer Basin)

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

हाल ही में, चार पश्चिम अफ्रीकी देशों- गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, मॉरिटानिया और सेनेगल- द्वारा 'सेनेगल-मॉरिटानिया एक्वीफर बेसिन' (Senegal-Mauritanian Aquifer Basin – SMAB) में सीमा पार सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।



SMAB के बारे में:

'सेनेगल-मॉरिटानिया एक्वीफर बेसिन' (Senegal-Mauritanian Aquifer Basin – SMAB), उत्तर-पश्चिम अफ्रीका के अटलांटिक किनारे पर सबसे बड़ा बेसिन है, और इसका क्षेत्रफल 350,000 वर्ग किलोमीटर है।

इस क्षेत्र में रहने वाली 24 मिलियन से अधिक आबादी पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए इस बेसिन पर निर्भर हैं।

ये देश SMAB पर सहयोग के लिए एक 'कानूनी और संस्थागत ढांचा' स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

यह, पश्चिम अफ्रीका में इस तरह का पहला तंत्र होगा और विश्व भर में साझा भूजल संसाधनों पर सशक्त सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आवश्यकता:

सेनेगल द्वारा वर्ष 2018 में 'संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग' (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) जल अभिसमय (UNECE Water Convention) में शामिल होने पर, इस तरह की घोषणा के लिए अनुरोध किया था।

इसके बाद 'जल अभिसमय' सचिवालय ने 'जिनेवा वाटर हब' और 'अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आंकलन केंद्र' (International Groundwater Resources Assessment Centre) के साथ मिलकर, SMAB घोषणा में सहयोग प्रदान किया है।

'जल अभिसमय' के बारे में:

'सीमापारीय जलधाराओं एवं अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय', अर्थात 'जल अभिसमय' (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes – Water Convention) वर्ष 1992 में हैलसिंकी में अपनाया गया था और वर्ष 1996 में लागू हुआ था।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

यह अभिसमय साझा जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन, संघर्षों की रोकथाम और शांति एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाला एक अद्वितीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है।

कार्यान्वयन:

1. जल अभिसमय के तहत, भागीदार सदस्यों के लिए सीमा पार से पड़ने वाले प्रभावों को रोकने, नियंत्रित और कम करने, उचित और न्यायसंगत तरीके से सीमा-पारीय जल का उपयोग करने और उनके स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने को अनिवार्य किया गया है।
2. सीमा-पारीय जल-निकायों की सीमा साझा करने वाले अभिसमय के सदस्य देशों को विशिष्ट समझौतों और संयुक्त निकायों का गठन करके परस्पर सहयोग करना होगा।
3. एक फ्रेमवर्क समझौते के रूप में, 'जल अभिसमय' किसी विशिष्ट बेसिन या एक्वीफर्स के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों की जगह नहीं लेता है; बल्कि, यह उनकी स्थापना और कार्यान्वयन, साथ ही साथ आगे के विकास को बढ़ावा देता है।

सदस्य:

सितंबर 2018 तक, 'जल अभिसमय' (Water Convention) को 42 राष्ट्रों और यूरोपीय संघ सहित कुल 43 पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था। यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस 'अभिसमय' पर हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

हेग स्थित 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) हेतु 'बाह्य लेखा परीक्षक'

(External auditor for Hague-based OPCW) स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में 'निरस्त्रीकरण सम्मेलन' (Conference on Disarmament - CD) का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मेलन में, भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली उनकी वितरण प्रणालियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और साथ ही इस तरह के हथियार आतंकवादियों के हाथों में पहुंचने की संभावना को देखते हुए वैश्विक समुदाय को इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

भारत ने 'रासायनिक हथियार अभिसमय' (Chemical Weapons Convention) के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन किया है और 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) को इसके महत्वपूर्ण अधिदेश को पूरा करने के लिए इसे सशक्त किए जाने पर जोर दिया है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ के बारे में:

निशस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament - CD) संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) द्वारा मान्यता प्राप्त एक बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच है।

इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिनेवा में ‘पैले डेस नेशंस’ (Palais des Nations) पर आधारित ‘हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों’ पर वार्ता करने के लिए स्थापित किया गया है। इस सम्मेलन के जिनेवा में प्रतिवर्ष तीन अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाते हैं।

यह सम्मेलन, पहली बार वर्ष 1979 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के तौर पर ‘निरस्त्रीकरण समिति’ (Committee on Disarmament) के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1984 में इसे ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ का नाम दिया गया।

गठन: 1984।

सदस्यता: 65 देश।

सम्मेलन की स्थापना एक स्थायी एजेंडा के साथ की गयी थी, जिसे “डिकालॉग” (Decalogue) के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

सभी रूपों में परमाणु हथियार

सामूहिक विनाश के अन्य हथियार

पारंपरिक हथियार

सैन्य बजट में कटौती

सशस्त्र बलों में कटौती

निरस्त्रीकरण और विकास

निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र और ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ के मध्य संबंध:

‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतंत्र निकाय है। यद्यपि यह औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, किंतु विभिन्न तरीकों से इससे सम्बद्ध है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जिनेवा में ‘संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के महानिदेशक’, ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ के महासचिव के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा, ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ द्वारा अपने प्रकार्य-नियमों और एजेंडा खुद तैयार किए जाते हैं, फिर भी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ के लिए विशिष्ट विषयों की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं।

अंत में, ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ द्वारा अपनी गतिविधियों की एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से, या अधिक बार, जैसा उपयुक्त हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा को पेश की जाती है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

‘रासायनिक हथियार निषेध संगठन’ (OPCW) के बारे में:

यह, ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (Non-Proliferation Treaty- NPT) की शर्तों को लागू करने और इनका कार्यान्वयन करने हेतु ‘रासायनिक हथियार अभिसमय’ (Chemical Weapons Convention- CWC), 1997 के द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

OPCW को हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा ‘समझौते’ के अनुपालन को सत्यापित करने हेतु निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है।

OPCW और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध समझौते के तहत, वर्ष 2001 तक OPCW, अपने निरीक्षण और अन्य कार्यवाहियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट करती थी।

इस संगठन को रासायनिक हथियारों को खत्म करने संबंधी व्यापक प्रयासों के लिए वर्ष 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

‘रासायनिक हथियार अभिसमय’ द्वारा निम्नलिखित कृत्यों को निषिद्ध किया गया है:

रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, संग्रहण, या प्रतिधारित रखना।

रासायनिक हथियारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण।

रासायनिक हथियारों का उपयोग अथवा सैन्य उपयोग के लिए तैयारी।

CWC -निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना, प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना।

‘युद्ध की एक विधि के रूप में’ दंगा नियंत्रण एजेंटों का उपयोग।

हेग स्थित ‘रासायनिक हथियार निषेध संगठन’ (OPCW) हेतु ‘बाह्य लेखा परीक्षक’ :

अप्रैल 2021 में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु ‘रासायनिक हथियार निषेध संगठन’ (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2021 से शुरू होगा।

हाल ही में आयोजित OPCW सम्मेलन में एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से यह नियुक्ति की गई।

OPCW सम्मेलन के दौरान, भारत को एशिया समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक अन्य दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया है।

‘कार्यकारी परिषद’ के बारे में:

यह ‘रासायनिक हथियार निषेध संगठन’ (OPCW) का शासी निकाय (governing body) है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इस 'कार्यकारी परिषद' में 41 OPCW सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें सदस्य देशों के परामर्श से चुना जाता है, और ये प्रति दो वर्षों में परिवर्तित होते रहते हैं।

यह परिषद, तकनीकी सचिवालय के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करती है और कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है।

प्रत्येक सदस्य देश को कार्यकारी परिषद में क्रमिक आधार पर चुने जाने का अधिकार होता है।

पटाखों में प्रयोग हेतु प्रतिबंधित रसायन

सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर में तथाकथित 'हरित और उन्नत पटाखों के इस्तेमाल' पर दायर एक हलफनामे की संवीक्षा करने हेतु पूरी तरह से तैयार है। इस मामले की सुनवाई से, इस दीवाली में आतिशबाजी होने अथवा नहीं होने पर फैसला हो सकेगा।

संबंधित प्रकरण:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अदालत को सूचित करते हुए कहा है कि अदालत द्वारा अक्टूबर 2018 में दिए गए फैसले के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारे शोध और विकास हुए हैं। मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में पेश किए गए, हरित / उन्नत

पटाखों पर विभिन्न प्रस्तावों और तरीकों पर अदालत से विचार करने का आग्रह किया है।

सुप्रीमकोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2018 को सुनाए गए अपने फैसले में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था और देश भर में पटाखों के उपयोग को विनियमित किया था।

'बेरियम' आधारित पटाखों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया था।

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

अदालत ने यह फैसला, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु देश भर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था।

पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल की टिप्पणियां:

पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह "कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में" अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

रोजगार, बेरोजगारी और जीवन के अधिकार के मध्य 'संतुलन' बनाना होगा।

पटाखों की क्रियाविधि:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

पटाखों (Firecrackers) में एक दहन प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए 'ईंधन' और 'ऑक्सीकारकों' (oxidisers) का प्रयोग किया जाता है, और इनके दहन से होने वाले परिणामी विस्फोट में पटाखों में भरी हुई सामग्री अत्यधिक गर्म अवस्था में, वातावरण में विखर जाती है। विस्फोटक मिश्रण में मिलाए गए धातु के कण 'संदीप्त' होकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।

संबंधित विवाद:

पटाखों के विस्फोटक मिश्रण में मिलाए गए धात्विक कणों में इनके नाभिक के बाह्य आवरण में इलेक्ट्रॉनों की एक अलग व्यवस्था होती है। पटाखों को जलाए जाने की प्रतिक्रिया में प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होती हैं, जिससे शानदार रंग निकलते हैं। लेकिन, जैसा कि कई अध्ययनों से पता चलता है, पटाखों का जलना, कणों और गैसों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का एक असामान्य और चरम स्रोत है।

इटली के मिलान शहर में किए गए एक अध्ययन में, पटाखों जलाए जाने पर पर वायु में एक घंटे के दौरान कई तत्वों की मात्रा के स्तर में - स्ट्रोंटियम का 120 गुना, मैग्नीशियम का 22 गुना, बेरियम का 12 गुना, पोटेशियम का 11 गुना और कॉपर का छह गुना- वृद्धि निर्धारित की गयी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 में दिल्ली में एक अध्ययन किया

गया, जिसके अनुसार- दीपावली की रात को वायु में एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन और स्ट्रोंटियम के स्तर में 'निम्न से अत्यधिक उच्च तक' तेजी से वृद्धि हुई थी।

चीन और यूनाइटेड किंगडम में भी इसी तरह की प्रासंगिक बढ़त दर्ज की गयी है। पटाखों से होने वाला प्रदूषण, लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और भारतीय शहरों में पहले से ही खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता को और खराब करता है।

इसके परिणामस्वरूप अदालत में दायर की गयी याचिकाओं में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, और अदालत द्वारा अपने आदेश में, पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के साथ-साथ उनकी मात्रा को भी प्रतिबंधित किया गया है। कई पटाखे, ध्वनि के संबंध में निर्धारित की गयी कानूनी सीमा का भी उल्लंघन करते हैं।

क्या ग्रीन पटाखों से कोई फर्क पड़ सकता है?

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 'राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान' (CSIR-NEERI), नागपुर द्वारा पटाखों का एक विकल्प पेश किया गया है, जिसमें उत्सर्जित होने वाले प्रकाश और ध्वनि की मात्रा कम होती है और ऑक्सीडेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट की कम मात्रा का

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उत्सर्जित पार्टिकुलेट पदार्थों की मात्रा 30% तक कम हो जाती है।

इन पटाखों को 'सेफ वाटर रिलीजर' (Safe Water Releaser) नाम दिया गया है, और इनमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का कम उपयोग किया जाता है, लेकिन इनसे निकलने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेते समय, पटाखा निर्माताओं के 'आजीविका के मौलिक अधिकार' और देश के 1.3 बिलियन

वाली आवाज, पारंपरिक पटाखों की ध्वनि तीव्रता के समान ही होती है। इनमें एल्युमीनियम का इस्तेमाल भी काफी कम और सुरक्षित सीमा के भीतर किया जाता है, और यह पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर की कम मात्रा वाले सुरक्षित थर्माइट पटाखे होते हैं।

समय की आवश्यकता:

से अधिक लोगों के 'स्वास्थ्य के अधिकार' को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

Index Value	Name	Color	Advisory
0 to 50	Good	Green	None
51 to 100	Moderate	Yellow	Unusually sensitive individuals should consider limiting prolonged outdoor exertion
101 to 150	Unhealthy for Sensitive Groups	Orange	Children, active adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion
151 to 200	Unhealthy	Red	Children, active adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid prolonged outdoor exertion; everyone else should limit prolonged outdoor exertion
201 to 300	Very Unhealthy	Purple	Children, active adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid outdoor exertion; everyone else should limit outdoor exertion
301-500	Hazardous	Maroon	Everyone should avoid all physical activity outdoors.

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन

पीएम केयर्स (PM CARES) फंड के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अब तक कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए कुल 845 बच्चों को चिह्नित और अनुमोदित किया जा चुका है।

योजना के बारे में:

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' (PM CARES for Children)

योजना को मई 2021 में लॉन्च किया गया था।

यह योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है।

पात्रता: कोविड 19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से किसी जीवित बच्चे अभिभावक या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

इस योजना के प्रमुख बिंदु:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

बच्चे के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट): 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का एक कोष गठित किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।

स्कूली शिक्षा: 11 -18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा।

उच्च शिक्षा के लिए सहायता: मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा: ऐसे सभी बच्चों को 'आयुष्मान भारत योजना' (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।

(नोट: हमने यहां केवल योजना के प्रमुख बिंदु और मुख्य विशेषताएं शामिल की हैं। पूर्ण विवरण के लिए, कृपया देखें।)

इन उपायों की आवश्यकता:

भारत, वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी प्रचंड लहर से जूझ रहा है और इस महामारी के कारण कई बच्चों के माता-पिता की मृत्यु होने के मामलों में वृद्धि हो रही है।

इसके साथ ही, इन बच्चों को गोद लेने की आड़ में बाल तस्करी की आशंका भी बढ़ गई है।

कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान 'बाल विवाह' संबंधी मामलों में भी वृद्धि हुई है।

वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा 'वन संरक्षण अधिनियम' (Forest Conservation Act – FCA) में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित परिवर्तन:

'राष्ट्रीय सुरक्षा' परियोजनाओं और 'सीमा अवसंरचना' परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व-स्वीकृति हासिल करने से छूट दी गयी है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 के अंतर्गत इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों द्वारा – 'वन संरक्षण अधिनियम' 1980 के प्रभाव में आने से पहले-अधिग्रहित की गयी भूमि के लिए भी 'मंत्रालय' से पूर्व-स्वीकृति हासिल करने से छूट दी गयी है।

वन क्षेत्रों के बाहर से 'ड्रिलिंग' के माध्यम से छेद करके गहन वन भूमि के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन और अन्वेषण या निष्कर्षण हेतु निजी वृक्षारोपण की सुविधा दी गई है।

वनों में निर्माण: जिन व्यक्तियों की जमीन राज्य विशिष्ट के 'निजी वन अधिनियम' अथवा 'वन' की शब्दकोशीय परिभाषा के दायरे में आती है, उनकी शिकायतों को कम करने के लिए 'मंत्रालय' ने एक बार की छूट के तौर पर वन संरक्षण उपायों सहित प्रमाणिक अवसंरचनाओं के निर्माण का अधिकार और 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है।

सजा: संशोधित अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध, एक वर्ष तक की अवधि का साधारण कारावास से दंडनीय होंगे और इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।

संशोधित अधिनियम में, पहले से हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए दंडात्मक मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।

आगे की कार्रवाई:

कृपया ध्यान दें, कि वन संरक्षण अधिनियम में ये परिवर्तन अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं। इस मसौदे को 15 दिनों के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा गया है, इसके बाद इसे कैबिनेट और संसदीय अनुमोदन के लिए तैयार किया जा सकता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इन संशोधनों की आवश्यकता:

मौजूदा 'वन संरक्षण अधिनियम' के साथ एक प्रमुख समस्या यह है कि, कि राज्य अपनी सीमा में 'वन आवरण' बढ़ाने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, और इससे राज्य और निजी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि-उपयोग करना कठिन हो जाता है।

कई मंत्रालयों द्वारा इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गई है कि रेलवे और राजमार्गों के अधिकार को कम करते हुए अधिनियम की व्याख्या कैसे की जा रही है। आज की स्थिति में, किसी भूमि धारक एजेंसी (रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लोक निर्माण विभाग, आदि) को अधिनियम के तहत मूल रूप से गैर-वन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग करने के लिए, केंद्रीय वन मंत्रालय से पूर्व-अनुमोदन लेने और शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value – NPV), प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation – CA) जैसे निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क आदि का भुगतान करना आवश्यक है।

“वन” की परिभाषा के तहत अधिक भूमि आने के साथ ही, राज्य सरकारों या निजी उद्योग को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए “वन” की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करना कठिन होता जा रहा है। वर्षों से, इस समस्या की वजह से कई कानूनी मामले अदालतों में दायर हैं और “वन” की कानूनी परिभाषा पर भी सवाल उठ रहा है।

राज्यों से 'वन' की परिभाषा को सपष्ट करने को कहा गया है, लेकिन इसके इसके राजनीतिक परिणामों को देखते हुए अधिकांश राज्यों ने कोई परिभाषा नहीं दी है। इन सब कारणों ने वर्षों से 'वन संरक्षण अधिनियम' (Forest Conservation Act – FCA) की परस्पर विरोधी व्याख्याओं को जन्म दिया है।

प्रस्तावित संशोधन, मौजूदा वन कानूनों के तर्कयुक्त बनाए जाने का हिस्सा है।

'वन संरक्षण अधिनियम' कब अधिनियमित किया गया था?

'वन संरक्षण अधिनियम' को पहली बार वर्ष 1980 में लागू किया गया था और वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया था।

यद्यपि, राज्यों के पास पहले से ही अधिसूचित वन भूमि होती हैं, इसके बाद भी 'वन संरक्षण अधिनियम' के अंतर्गत, “गैर वानिकी उद्देश्यों” के लिए इस प्रकार की वन भूमि का उपयोग करने और इस भूमि के पुनः वर्गीकरण करने संबंधी सिफारिश करने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (टी एन गोडवर्मन थिरुमलापाद (1996) मामले) से निम्नलिखित की गणना का मार्ग प्रशस्त हुआ था:

शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value), या परियोजना समर्थकों द्वारा विकास कार्य हेतु जंगल के बरबाद किए गए भाग का आर्थिक मूल्य।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि (Compensatory Afforestation Fund) का सृजन।

'व्यपवर्तित वन' के स्थान पर 'गैर-वानिकी भूमि' उपलब्ध कराना।

“वन” की परिभाषा:

टी एन गोडवर्मन थिरुमलापाद (1996) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत 'वनों' की एक व्यापक परिभाषा को स्वीकार की गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले, 1927 के वन अधिनियम द्वारा परिभाषित भूमि को ही केवल 'वन भूमि' माना जाता था।

अदालत ने कहा है, कि, 'वन' (Forest) शब्द को शब्दकोश में दिए गए अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इसके तहत, वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, आरक्षित (Reserved), संरक्षित (Protected) अथवा वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट, सभी प्रकार के वन सम्मिलित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र 'वन' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, चाहे इन पर स्वामित्व किसी का भी हो।

साबरमती नदी के संरक्षण पर गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपशिष्ट निस्सरण किए जाने की वजह से 'साबरमती नदी' की धीरे-धीरे हो रही मौत पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। हाल ही में, अदालत ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट का आदेश:

1. गुजरात में साबरमती नदी में प्रदूषकों को छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
2. इन इकाइयों के लिए दंडित और शर्मिंदा भी किया जाएगा।
3. ऐसी सभी प्रदूषणकारी इकाइयों को किसी भी औद्योगिक मेले, सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों आदि में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

'पब्लिक ट्रस्ट' के रूप में पानी:

हमारे संविधान में जल संसाधनों को 'पब्लिक ट्रस्ट' में रखा गया है। अतः अदालत ने नगर निकायों या उद्योगों द्वारा नदियों को प्रदूषित करने पर इनके खिलाफ कड़े प्रावधान लागू करने के लिए 'पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

चुनौतियां:

साबरमती नदी के 371 किमी लंबे मार्ग का 120 किमी भाग मृत होने की कगार पर है। अहमदाबाद में 'साबरमती रिवरफ्रंट' के साथ बहने वाली नदी के भाग के बारे में यह बात विशेष रूप से सच है।

नदी में प्रदूषकों की अत्यधिक उपस्थिति और प्राकृतिक प्रवाह की कमी की वजह से नदी के लिए अपूरणीय क्षति पहुंची है।

औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट और सीवेज को साबरमती नदी में लगातार छोड़ा जा रहा है।

इस सबके बावजूद औद्योगिक इकाइयों को इन गतिविधियों को जारी रखने के लिए कानूनी अनुमति मिली हुई है।

समय की मांग:

नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। इस भयावह स्थिति के पीछे प्रमुख कारण, पर्यावरण तथा नदियों और नदी-तटों का अनुरक्षण करने के प्रति हमारी पूरी तरह से अज्ञानता और हमारा लापरवाह रवैया है और नदियों और नदियों के किनारों को बनाए रखना है।

इसलिए, यह उचित समय है कि हम इस संबंध में कुछ कड़े कदम उठाएं।

प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि नदियाँ हम सबकी हैं।

उन्हें साफ रखना प्रत्येक व्यक्ति की संयुक्त जिम्मेदारी है।

साबरमती नदी के बारे में:

साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में स्थित डेबर झील से होता है।

यह दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है और राजस्थान में उदयपुर और गुजरात के साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद और आणंद जिलों से होकर गुजरती है।

लगभग 371 किमी की यात्रा करने के बाद, साबरमती नदी, खंभात की खाड़ी में गिरती है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क और इसकी रिपोर्ट

(Global Coral Reef Monitoring Network and its report)

हाल ही में, 'वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क' / ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (Global Coral Reef Monitoring Network – GCRMN) द्वारा दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।

13 वर्षों में अपनी तरह की इस पहली रिपोर्ट में 'ग्लोबल वार्मिंग' के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया गया है, और साथ ही कहा है कि 'ग्रीनहाउस गैसों' पर नियंत्रण करके कुछ प्रवाल भित्तियों को बचाया जा सकता है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

पिछले दशक में, संपूर्ण विश्व में कुल प्रवाल भित्तियों का लगभग 14 प्रतिशत नष्ट हो चुका है।

प्रवाल भित्तियों के लिए खतरे: महासागरीय-अम्लीकरण, समुद्र के तापमान में वृद्धि और 'अत्यधिक मत्स्यन, प्रदूषण, गैर-संवहनीय पर्यटन और खराब तटीय प्रबंधन जैसे स्थानीय दबाव।

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उष्ण से दुनिया भर में प्रवाल भित्तियाँ लगातार संकट का सामना कर रही हैं। समुद्री सतह के उच्च तापमान (sea surface temperatures – SST) में वृद्धि के कारण होने वाली 'प्रवाल विरंजन' की घटनाएँ 'प्रवाल'ों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

कठोर प्रवाल आवरण का नष्ट होना: 1978 में विश्व के नौ प्रतिशत प्रवाल'ों के नष्ट होने के बाद से पिछले चार दशकों के दौरान, प्रवाल'ों के कठोर आवरण (Hard Coral Cover) में लगातार कमी हो रही है। इस आवरण में होने वाली यह कमी चिन्ताजनक है क्योंकि सजीव कठोर प्रवाल आवरण, प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सूचक होते हैं।

शैवालीय प्रस्फुटन: प्रवाल कटकों लकीरों पर 'शैवालीय प्रस्फुटन' (Algal bloom), प्रवाल भित्तियों पर दबाव का संकेत होता है। वर्ष 2010 के बाद से, विश्व की प्रवाल भित्तियों पर शैवाल की मात्रा में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रवाल (मूंगों) के संरक्षण की आवश्यकता:

प्रवाल (Corals), समुद्र तल के एक प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में पाए जाते हैं, किंतु इन प्रवाल भित्तियों से एक अरब से अधिक लोग सीधे लाभान्वित होते हैं।

प्रवाल भित्तियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, प्रति वर्ष \$2.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है। केवल 'कोरल रीफ पर्यटन' से 36 अरब डॉलर कारोबार होता है।

विश्व की प्रवाल भित्तियों का 'शुद्ध आर्थिक मूल्य' लगभग दसियों अरब डॉलर प्रति वर्ष हो सकता है।

आगे की चुनौतियाँ:

भूमि और समुद्र के तापमान में लगातार वृद्धि प्रवाल'ों (मूंगों) के लिए खतरा है।

यदि समुद्र की सतह के तापमान में एक डिग्री की वृद्धि होती है तो मूंगों का अस्तित्व 50 प्रतिशत से कम होने जाने की संभावना होती है।

यदि संपूर्ण विश्व कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक साथ काम नहीं करता है, तो इस सदी के अंत तक विश्व की सभी प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो जाने की संभावना है।

'प्रवाल विरंजन' क्या है?

जब तापमान, प्रकाश या पोषण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवाल'ों पर तनाव बढ़ता है, तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले 'जूजैथिली' (Zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को 'कोरल ब्लैचिंग' या 'प्रवाल विरंजन' (Coral bleaching) कहते हैं।

प्रवाल'ों को अपनी लगभग 90% ऊर्जा, क्लोरोफिल और अन्य वर्णकों से भरपूर 'जूजैथिली' शैवाल से प्राप्त होती है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

ये शैवाल, अपने पोषक प्रवालों के पीले या लाल भूरे रंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा, 'जूजैथिली' जेलीफ़िश के साथ भी 'अंतः सहजीवी' / एंडोसिम्बियन्ट्स के रूप में भी रह सकते हैं।

किसी प्रवाल का विरंजन होने पर यह तत्काल नहीं मरता है, बल्कि मरने के काफी करीब आ जाता है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य स्तर पर लौटने के बाद कुछ प्रवाल इस अवस्था से बचे रह सकते हैं और पुनः स्वस्थ हो सकते हैं।

वैश्विक एयरलाइंसों द्वारा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की 77वीं वार्षिक आम बैठक में 'वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग' को वर्ष 2050 तक 'शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन' (net-zero carbon emissions) हासिल करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

यह प्रतिबद्धता, पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखे जाने के लक्ष्य के अनुरूप है।

आगे की चुनौतियां:

'नेट जीरो उत्सर्जन' लक्ष्य हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी।

उड्डयन उद्योग को उड़ान भरने के लिए उत्सुक दुनिया की बढ़ती मांग को समायोजित करते हुए अपने उत्सर्जन को उत्तरोत्तर कम करना चाहिए।

वर्ष 2050 में, उड़ान भरने वाले दस अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए, उस वर्ष कम से कम 1.8 गीगाटन कार्बन को समाप्त करना होगा।

इसके अलावा, 'नेट जीरो प्रतिबद्धता' का तात्पर्य है कि वर्तमान और 2050 के बीच कुल 21.2 गीगाटन कार्बन को समाप्त करना होगा।

IATA द्वारा पारित प्रस्ताव में सभी उद्योग हितधारकों से अपनी नीतियों, उत्पादों और गतिविधियों के

पर्यावरणीय प्रभाव का ठोस कार्रवाइयों और स्पष्ट समयसीमा के साथ समाधान करने के लिए प्रतिबद्धता की मांग की गयी है, इसके लिए:

ईंधन उत्पादक कंपनियों द्वारा लागत-प्रतिस्पर्धी संवहनीय विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuels) बाजार में बड़े पैमाने पर लाया जाएगा।

सरकारों और हवाई नेविगेशन सेवा प्रदाताओं (ANSP) द्वारा हवाई यातायात प्रबंधन और हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में कमियों को दूर किया जाएगा।

विमान और इंजन निर्माताओं द्वारा आवश्यक रूप से अधिक कुशल एयरफ्रेम और प्रणोदन प्रौद्योगिकियों का उत्पादन किया जाएगा।

हवाईअड्डा संचालकों द्वारा 'संवहनीय विमानन ईंधन' (SAF) एसएएफ की आपूर्ति के लिए उचित लागत पर और लागत प्रभावी तरीके से आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

'नेट-जीरो' लक्ष्य घोषित करने वाले राष्ट्र:

वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा 'जीरो कार्बन अधिनियम' पारित किया गया और इसके तहत देश को वर्ष 2050 तक 'जीरो कार्बन उत्सर्जन' का लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया।

ब्रिटेन की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, जिसके तहत सरकार को यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को 100 प्रतिशत तक कम करने का दायित्व सौंपा गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा वर्ष 2030 तक देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से न्यूनतम 50 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की गयी है।

जलवायु परिवर्तन पर अनिच्छुक सहयोगियों को एक साथ लाने और वर्ष 2050 तक देश में 'नेट-जीरो' कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के साथ वर्ष 2019 में 'वर्ल्ड वॉर जीरो' की शुरुआत की गई।

यूरोपीय संघ की 'फिट फॉर 55' योजना: इसके तहत, यूरोपीय आयोग ने अपने सभी 27 सदस्य देशों को अपने उत्सर्जन में 2030 तक 1990 के उत्सर्जन स्तर से 55 प्रतिशत तक कटौती करने के लिए कहा है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

चीन ने वर्ष 2060 तक 'नेट-ज़ीरो' का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है और अपने उत्सर्जन को वर्ष 2030 के स्तर तक सीमित करने की बात कही है।

भारत और 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य:

अमेरिका और चीन के बाद, भारत, ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, और 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख देश है।

भारत का तर्क है, कि 'पेरिस समझौते' फ्रेमवर्क से अलग नेट-ज़ीरो लक्ष्यों पर समानांतर चर्चा शुरू करने के बजाय, सभी देशों को उन लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, जिनके लिए वे पहले से वादा कर चुके हैं।

भारत की चिंताएं:

चूंकि, भारत अपने देश के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने हेतु उच्च विकास दर हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से अगले दो से तीन दशकों में, भारत का उत्सर्जन विश्व में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने की संभावना है। कितना भी वनीकरण या पुनर्वनीकरण इस उत्सर्जन-वृद्धि की भरपाई करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा, कार्बन-मुक्त करने के लिए उपलब्ध अधिकांश प्रौद्योगिकियां अभी तक या तो अविश्वसनीय हैं या बहुत महंगी हैं।

'नेट-ज़ीरो' क्या है?

'नेट-ज़ीरो' (Net-Zero), जिसे 'कार्बन-तटस्थता' (carbon-neutrality) भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है, कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को शून्य तक ले जाएगा।

बल्कि, 'नेट-ज़ीरो' एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को, 'वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण' के द्वारा क्षतिपूर्ति (compensated) किया जाता है।

उत्सर्जन का अवशोषण करने में वृद्धि करने हेतु अधिक संख्या में कार्बन सिंक, जैसे कि जंगल, तैयार किये जा सकते हैं, जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर

और भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।

मॉसक्यूरिक्स: मलेरिया के लिए WHO द्वारा समर्थित पहला टीका

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा RTS,S/AS01 (RTS.S) नामक टीके को मलेरिया के उपचार हेतु अनुमोदित किया गया है। इस टीके का व्यवसायिक नाम 'मॉसक्यूरिक्स' (Mosquirix) है।

यह अब तक का एकमात्र और पहला ऐसा टीका है, जिसके छोटे अफ्रीकी बच्चों पर किए गए परीक्षणों में मलेरिया और जानलेवा गंभीर मलेरिया को कम करने की क्षमता देखी गयी है।

'मॉसक्यूरिक्स' के बारे में:

'मॉसक्यूरिक्स' (Mosquirix) वैक्सीन, विश्व स्तर पर सबसे घातक मलेरिया परजीवी 'पी. फाल्सीपेरम' (Plasmodium falciparum) के खिलाफ काफी प्रभावी है। इस घातक मलेरिया परजीवी का अफ्रीका में सबसे अधिक प्रकोप है।

यह वैक्सीन, अफ्रीका के तीन देशों – घाना, केन्या और मलावी- के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा 'अपने बाल टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाने वाला मलेरिया का पहला टीका भी है।

भारत का नवीनतम और छत्तीसगढ़ में चौथा बाघ अभयारण्य

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने छत्तीसगढ़ सरकार के 'गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान' और 'तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य' के संयुक्त क्षेत्रों को 'टाइगर रिजर्व' घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह नया 'टाइगर रिजर्व' मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

उदांती-सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा।

कृपया ध्यान दें कि 'गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान' देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थान है। 'टाइगर रिजर्व' किस प्रकार घोषित किया जाता है?

सबसे पहले, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(1) के तहत NTCA द्वारा 'टाइगर रिजर्व' के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (NTCA) की सिफारिश पर, किसी क्षेत्र को 'बाघ अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

बौद्ध परिपथ'

केंद्र सरकार द्वारा 'बौद्ध परिपथ' / 'बौद्ध सर्किट' परियोजना की घोषणा वर्ष 2016 में की गयी थी। तब से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत, इस परियोजना के लिए 343 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

'बौद्ध परिपथ', बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने वाला एक मार्ग है। यह मार्ग बुद्ध के जन्मस्थान नेपाल में लुंबिनी, भारत में बिहार के बोधगया- जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उत्तर प्रदेश में सारनाथ- जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर- जहाँ उन्हें महा-परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, से होकर गुजरता है।



'बौद्ध परिपथ' का विकास:

पर्यटन मंत्रालय की एक मुख्य योजना 'स्वदेश दर्शन योजना' (Swadesh Darshan Scheme) के तहत, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

योजना के तहत, देश के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वायशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकिसा और कपिलवस्तु के स्थलों को और विकसित करने की योजना है।

वर्तमान में, देश भर में आने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग छह प्रतिशत विदेशी पर्यटक इन स्थलों पर आते हैं और इनमें सारनाथ और बोधगया सबसे प्रमुख स्थल हैं।

परिपथ का विस्तार:

शुरुआत में, बौद्ध परिपथ की परिकल्पना केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित सात प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए की गई थी, बाद में इसे भारत का 'पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यटन परिपथ' बनाने के लिए 21 अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया।

योजना के तहत, इन 21 राज्यों में स्तूपों और विहारों की पहचान की गई है, जिनके चारों ओर छोटे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

परिपथ में शामिल किए जाने वाले नए राज्य- मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और जम्मू और कश्मीर हैं।

वर्तमान में, बौद्ध सर्किट में चार अंतरराष्ट्रीय और दो घरेलू हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जबकि दो अन्य हवाई अड्डों पर कार्य जारी है।

'उड़ान' योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार करने की भी योजना है।

स्वदेश दर्शन योजना:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में देश में 'विषय आधारित पर्यटन परिपथ' विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।

यह परियोजना घटकों के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है।

इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) पहल के तहत 'स्वैच्छिक वित्त पोषण' का लाभ उठाने का भी प्रावधान है।



इस योजना के तहत विकास के लिए 13 विषयक परिपथो (Thematic Circuits) को चिह्नित किया गया है। ये हैं:

1. बौद्ध सर्किट,
2. उत्तर-पूर्व भारत सर्किट,
3. तटीय सर्किट,
4. हिमालय सर्किट,
5. कृष्णा सर्किट,
6. डेजर्ट सर्किट,
7. इको सर्किट,
8. वन्यजीव सर्किट,
9. जनजातीय सर्किट,
10. ग्रामीण सर्किट,
11. आध्यात्मिक सर्किट,
12. रामायण सर्किट और
13. विरासत सर्किट।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

Buddhist Site	Features
Lumbini, Nepal	It is the place where Queen <u>Mayadevi</u> gave birth to Siddhartha Gautama.
<u>Kapilavastu</u> , Uttar Pradesh	<u>Kapilavastu</u> was the capital of Shakya. It was the childhood home of Gautama Buddha.
Bodh Gaya, Bihar	It is the place where Gautama Buddha is said to have obtained Enlightenment. Mahabodhi Temple, located in Bodh Gaya, is a UNESCO World Heritage Site.
<u>Sarnath</u> , Varanasi, Uttar Pradesh	The deer park in <u>Sarnath</u> is where Gautama Buddha first taught the Dharma. It is also where the Buddhist Sangha came into existence. It was also the site of the Buddha's <u>DhammacakkappavattanaSutta</u> , which was his first teaching after attaining enlightenment.
<u>Rajgir</u> , Nalanda, Bihar	It was the first capital of the kingdom of Magadha. The two rock-cut caves here, were the <u>favorite</u> retreats of the Buddha. It was on <u>Rajgir</u> hill that Buddha preached two of his most famous sermons. <u>Rajgir</u> is equally important for the Jains as well as Hindus.
<u>Shravasti</u> , Uttar Pradesh	It is closely associated with the life of Gautama Buddha, who is believed to have spent 24 <u>Chaturmasas</u> here. <u>Shravasti</u> was the capital of the Kosala Kingdom.
Vaishali, Bihar	Gautama Buddha gave his last sermon here.
<u>Kushinagar</u> , Uttar Pradesh	This is the place where Gautama Buddha attained <u>Parinirvana</u> after his death.

पराली दहन

‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ के अनुसार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान की खेती के क्षेत्रफल में कमी आने तथा किसानों द्वारा अधिक समय में पकने वाली धान की किस्मों का कम प्रयोग करने की वजह से इस साल ‘पराली जलाने’ (Stubble Burning) में कमी देखी जा सकती है।

इसके कारण:

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों में, धान की फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 7.72% कम हो गया है।

गैर-बासमती किस्म के चावल से होने वाली धान की पराली, चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 12.42% कम होने की संभावना है।

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ धान की पूसा-44 किस्म के उपयोग को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं।

पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए रूपरेखा और कार्य योजना के तहत ‘फसल विविधीकरण’ और कम अवधि में अधिक उपज देने वाली ‘पूसा-44’ किस्म के प्रयोग को समाप्त किए जाने पर जोर दिया गया था।

‘पराली दहन’ (stubble Burning) क्या है?

किसानों द्वारा नवंबर में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करने के दौरान ‘पराली दहन’ या पराली जलाना, एक आम बात है, क्योंकि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय बचता है।


प्रभाव: पराली जलाने से हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ-साथ पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है।

किसानों द्वारा ‘पराली जलाने’ का विकल्प चुनने का कारण:

1. किसानों के पास, पराली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के विकल्प नहीं होते हैं।
2. किसान, इस कृषि-अपशिष्ट से निपटने में अक्षम होते हैं क्योंकि वे अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए उपलब्ध नई तकनीक को वहन नहीं कर सकते।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

3. बहुधा, फसल खराब होने जाने की वजह से किसान की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति में किसान लागत में कटौती करने और पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों पर खर्च करने की बजाय, खेत में ही पराली जलाने का विकल्प चुनता है।



पराली जलाने के फायदे:

इससे खेत, जल्दी साफ हो जाता है और यह सबसे सस्ता विकल्प है।
 खरपतवार नाशकों सहित खरपतवारों को नष्ट हो जाते हैं।
 सुंडिया और अन्य कीट मर जाते हैं।
 नाइट्रोजन बंध दुर्बल हो जाते हैं।

पराली जलाने के प्रभाव:

प्रदूषण: खुले में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें मीथेन (CH₄), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। अंततः ये स्मॉग का कारण बन जाते हैं।

मृदा उर्वरता: पराली को खेत में जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाती है।

ऊष्मा का प्रवेश: पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी में प्रवेश करती है, जिससे जमीन

में नमी और लाभकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

पराली जलाने से बचने हेतु वैकल्पिक उपाय:

1. धान की पुआल आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा देना। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
2. मृदा में फसल अवशेषों को शामिल करने से मिट्टी की नमी में सुधार हो सकता है, और बेहतर पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के सूक्ष्मजीवों के विकास को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है।
3. कृषि-अवशिष्टों को कम्पोस्टिंग के माध्यम से समृद्ध जैविक खाद में परिवर्तित किया जा सकता है।
4. वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से 'यीस्ट प्रोटीन के निष्कर्षण' जैसे औद्योगिक उपयोग के नए अवसरों की खोज की जा सकती है।

आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां

1. पराली नहीं जलाने वालों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और इस पद्धति को जारी रखने वालों पर दंड लगाया जा सकता है।
2. मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए, जिसके तहत, कृषि-अवशिष्टों को जलाने वाले लोगों को संबंधित राज्य MSP के लाभ से पूर्ण या आंशिक रूप से वंचित कर सकें।

छत्तीसगढ़ मॉडल:

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 'गौठान' स्थापित कर एक अभिनव प्रयोग किया गया है।

'गौठान' (Gauthans), प्रत्येक गाँव में पांच एकड़ का एक सामूहिक भूखंड होता है, जहाँ गाँव के सभी लोग अपनी-अपनी अप्रयुक्त पराली को इकट्ठा करते हैं और इस पराली को गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों को मिलाकर जैविक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए 'रोजगार' भी उत्पन्न होता है।

सरकार द्वारा 'पराली' को खेत से नजदीकी गौठान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 2,000 गौठानों को सफलतापूर्वक विकसित किया जा चुका है।

'स्थलीय जल भंडारण' में कमी WMO की रिपोर्ट


हाल ही में, 'विश्व मौसम विज्ञान संगठन' (World Meteorological Organization - WMO) द्वारा 'स्थलीय जल भंडारण' (terrestrial water storage - TWS) में होने वाली कमी पर 'स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021' (2021 State of Climate Services) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गयी है।

'स्थलीय जल भंडारण' क्या है?

'स्थलीय जल भंडारण' (terrestrial water storage - TWS), स्थलीय भूभाग की सतह और इसकी निचली सतह पर मौजूद पानी, अर्थात सतही जल, मृदा की नमी, बर्फ, हिम और भूजल की कुल मात्रा होती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

1. कुल मिलाकर, पिछले बीस वर्षों (2002-2021) के दौरान, स्थलीय जल संग्रहण (TWS) में 1 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट हुई है।
2. 'स्थलीय जल संग्रहण' में सबसे ज्यादा कमी 'अंटार्कटिका' और 'ग्रीनलैंड' में हुई है।
3. निम्न अक्षांशों में स्थिति बहुत अधिक आबादी वाले स्थानों पर भी 'स्थलीय जल संग्रहण' में कमी हुई है।
4. भारत 'स्थलीय जल भंडारण' (TWS) में कमी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यदि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में हुई 'जल भंडारण' कमी को छोड़ दिया जाए, तो 'स्थलीय जल भंडारण' में सबसे ज्यादा कमी भारत में हुई है।
5. भारत में, TWS में प्रति वर्ष 3 सेमी की दर से कमी हुई है। कुछ क्षेत्रों में, इसकी दर 4 सेमी प्रति वर्ष से भी ज्यादा रही है।
6. भारत के उत्तरी हिस्से में देश के भीतर TWS में सबसे ज्यादा कमी हुई है।



आगे की चुनौतियां:

मानव और प्राकृतिक रूप से प्रेरित तनावों के कारण, संपूर्ण विश्व में 'जल संसाधन' अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे हैं।


Head Office: 301/A-37,38,39, III Floor, Ansal Building Commercial Complex (Near Batra Cinema) Above Mother Dairy, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इन तनावों में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और मीठे पानी की घटती उपलब्धता आदि शामिल है।

विकास के सभी क्षेत्रों और पृथ्वी के सभी भागों में 'जल संसाधनों' पर दबाव के लिए चरम मौसमी घटनाएं भी जिम्मेदार हैं।

Where is Earth's Water?



Credit: U.S. Geological Survey, Water Science School. <https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school>
Data source: Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. (Numbers are rounded).

भारतीय परिदृश्य:

भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटती जा रही है। देश में, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार कमी होती जा रही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 में इसमें और गिरावट हो सकती है तथा यह घटकर प्रति व्यक्ति 1,367 घन मीटर तक पहुंच सकती है। भारत में 21 नदी घाटियों में से पांच नदी घाटियां 'जल की विशुद्ध कमी' (प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 500 क्यूबिक मीटर से कम) की स्थिति में पहुँच चुकी हैं। वर्ष 2050 तक, छह नदी घाटियों में 'पानी की विशुद्ध कमी' हो जाएगी, छह अन्य नदी घाटियों में 'पानी की कमी' हो जाएगी और चार नदी घाटियों में 'पानी की स्थिति तनावपूर्ण' हो जाएगी।

है। वर्ष 2001 में, देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,816 क्यूबिक मीटर थी, जोकि वर्ष 2011 में घटकर 1,545 क्यूबिक मीटर रह गयी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. जल संरक्षण हेतु मनरेगा
2. जल क्रांति अभियान
3. राष्ट्रीय जल मिशन
4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
5. नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
6. जल शक्ति मंत्रालय का गठन और जल जीवन मिशन की शुरुआत

अथिरापिल्ली जलविद्युत परियोजना

हाल ही में, केरल सरकार ने त्रिशूर जिले में चलकुडी नदी बेसिन पर प्रस्तावित 163 मेगावाट 'अथिरापिल्ली

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

जल विद्युत' (Athirappally Hydel Power) को रद्द कर दिया है।

चलक्कुडी नदी (Chalakydy River), पेरियार नदी की एक सहायक नदी है और तमिलनाडु के अनामलाई क्षेत्र से निकलती है।

रद्द किए जाने का कारण:

जैव विविधता और राज्य के एकमात्र नदी-जंगल में निर्माण किए जाने के खिलाफ पर्यावरणविदों और आदिवासी संगठनों के बढ़ते विरोध के बीच केरल सरकार ने फैसला किया है।

7 REASONS WHY PROJECT SHOULD BE SHELVED

1 Western Ghats Ecology Expert Panel has recommended that green nod shouldn't be given to large storage dams in eco-sensitive zones (ESZ) 1 & 2. Athirappally falls under ESZ 1

2 Project would destroy 138ha of forestland. As per project report, over 104.4ha of forests would be submerged, of which 28.4ha is natural forest, 36.8ha reserve forest plantations and 39.2ha riverbed

3 Project's projected power generation capacity is 163MW but there is not enough water for it. Power generated is unlikely to be more than 20 MW

4 Project is estimated to cost between ₹1,200cr and ₹1,500cr. This would significantly increase cost of power

5 Existence of unique low-elevation riparian vegetation with high endemism. A total of 155 species of endemic plants with 33 categorized as rare and endangered by International Union for Conservation of Nature (IUCN)

6 Of 486 bird species recorded in state, 234 can be found in Vazhachal-Athirappally region. Also home to Malabar grey hornbill, grey hornbill, Malabar pied hornbill, great Indian hornbill

7 High fish diversity. The riparian ecosystem harbours 104 out of the 210 species recorded in Kerala, including 22 endangered and nine critically endangered ones



National Bureau of Fish Genetic Resources had recommended that the Chalakydy River be declared a fish sanctuary

PROJECT TIMELINE

1982: Twin projects of Poringalkuthu Right Bank and Athirappally proposed
1985: Poringalkuthu project dropped
1989: MoEF rejects environment clearance (EC) for Athirappally project
1996: Gets techno-economic clearance from Central Electricity Authority (CEA)
1998: MoE&F gives environment clearance (EC) based on a rapid EIA
1997: Stage-I forest clearance by MoE&F
1999: Stage-II forest clearance

2005: MoE&F gives second EC based on another EIA study
2007: Another EC accorded by MoE&F based on HC judgment
2008: CEA's techno-economic clearance expires
2012: EC validity expires
2015: MoE&F extends validity of EC, with effect from 2012
2015: Kadar tribe of Vazhachal invokes community forest rights, passes resolution against project
2017: EC validity for project expires
2018: River protection forum temporarily calls off protests

संबंधित प्रमुख बिंदु:

'चलक्कुडी नदी बेसिन' में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के कारण 'कादर आदिवासी समुदाय' को लगातार विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है।

क्या आप जानते हैं? 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में 'साइलेंट वैली' बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ भारत के पहले पारिस्थितिक आंदोलनों में से एक थी। इसकी वजह से केरल सरकार को केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली के सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगलों के अंदर,

कुंठी नदी पर एक बांध परियोजना को छोड़ने के लिए मजबूर किया।

माधव गाडगिल रिपोर्ट ने अथिरापिल्ली जलविद्युत परियोजना को 'अवांछनीय' करार दिया था और इसे पर्यावरणीय तकनीकी और आर्थिक आधार पर व्यर्थ के रूप में वर्गीकृत किया था।

'कस्तूरीरंगन समिति' ने पारिस्थितिक आधार पर परियोजना के प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की।

कालापानी विवाद

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री द्वारा दिए गए एक व्यक्तव्य के अनुसार, सभी नेपाली राजनीतिक दलों की इस तथ्य पर आम सहमति है कि उत्तराखंड में

‘कालापानी’ नेपाल के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि, भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया है।



‘कालापानी’ की अवस्थिति:

‘कालापानी’ (Kalapani), उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी छोर पर स्थित है।

यह, उत्तर में चीन के अधीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ तथा पूर्व और दक्षिण में नेपाल के साथ सीमा बनाता है।

यह लिपियाधुरा और लिपुलेख के बीच में स्थित है।

‘कालापानी क्षेत्र’ नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च हिमालय में कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

‘कालापानी क्षेत्र’ पर नियंत्रण:

यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है लेकिन नेपाल ऐतिहासिक और मानचित्रक (कार्टोग्राफिक) कारणों से इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है।

विवाद की वजह:

‘कालापानी क्षेत्र’ का नाम इससे होकर बहने वाली ‘काली नदी’ के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र पर नेपाल का दावा इसी नदी पर आधारित है। 1814-16 में हुए ‘गोरखा युद्ध’ / ‘एंग्लो-नेपाल युद्ध’ के पश्चात् काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित ‘सुगौली की संधि’ में ‘काली नदी’ को नेपाल की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। सन् 1816 में संधि की पुष्टि की गई।

संधि के अंतर्गत, नेपाल को पश्चिम में कुमाऊं-गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम के अपने क्षेत्रों को खोना पड़ा था।

संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया। काली नदी, उच्च हिमालय से निकलती है और भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत मैदानों से होकर प्रवाहित होती है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

संधि के अनुसार, ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी।

वर्तमान मुद्दे:

1. नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार, काली नदी के पूर्वी क्षेत्र की शुरुआत, नदी के उद्गम स्थल से मानी जानी चाहिए। इनके अनुसार नदी का उद्गम स्रोत 'लिंपियाधुरा' के समीप पहाड़ों में है, जोकि नदी के शेष प्रवाह क्षेत्र की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है।
2. नेपाल का दावा है, लिंपियाधुरा से नीचे की ओर बहती हुए नदी की संपूर्ण धारा के पूर्व में स्थित उच्च-पर्वतीय क्षेत्र उनका है।
3. दूसरी ओर भारत का कहना है, नदी का उद्गम कालापानी से होता है, और यही से उसकी सीमा शुरू होती है।
4. दोनों देशों के मध्य यह विवाद, मुख्य रूप से काली नदी के उद्गम स्थल और पहाड़ों से होकर बहने वाली इसकी कई सहायक नदियों की अलग-अलग व्याख्या के कारण है।
5. काली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र पर नेपाल का दावा, नदी के लिंपियाधुरा उद्गम पर आधारित है, जबकि भारत का कहना है, कि नदी वास्तव में कालापानी के पास निकलती है और इसीलिए इसका नाम 'काली' पड़ा है।

वर्तमान स्थिति:

कुछ समय पूर्व, नेपाल द्वारा संशोधित आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया गया था, जिसमें काली नदी के उद्गम स्रोत लिंपियाधुरा से लेकर त्रिकोणीय क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में कालापानी और लिपुलेख दर्रे तक के क्षेत्र को अपने क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।

पिछले साल प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने मानचित्र को संवैधानिक दर्जा देने के लिए

संविधान संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था।

भारतीय पर्यवेक्षकों का कहना है, कि नेपाल सरकार का यह कदम 'कालापानी मुद्दे' पर भविष्य में किसी भी समाधान को लगभग असंभव बना सकता है, क्योंकि इस प्रस्ताव को संवैधानिक गारंटी मिलने से इस विषय पर 'काठमांडू' की स्थिति दृढ़ हो जाएगी।

पराली दहन से निपटने हेतु बायो डीकंपोजर

दिल्ली सरकार द्वारा फसल कटाई के बाद बची पराली को सड़ाने के लिए खेतों में 'जैव-अपघटक घोल' / 'बायो-डीकंपोजर घोल' (Bio-Decomposer Solution) का छिड़काव शुरू कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि:

दिल्ली सरकार, इस 'जैव-अपघटक' घोल को पराली दहन के समाधान के रूप में देखती है और अन्य राज्यों से इस पद्धति को अपनाने का आग्रह करती रही है। सरकार ने पिछले साल सबसे पहले इसका छिड़काव किया था और सकारात्मक परिणाम मिलने का दावा किया था।

जैव-अपघटक का निर्माण:

इस तकनीक में प्रयुक्त जैव-अपघटक घोल को पूसा डीकंपोजर (Pusa Decomposer) भी कहा जा रहा है।

पूसा डीकंपोजर सात कवकों का एक मिश्रण होता है जो पराली (Paddy Straw) में पाए जाने वाले सेल्युलोज, लिग्निन और पेक्टिन को गलाने वाले एंजाइम का उत्पादन करता है।

यह कवक 30-32 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वातावरण विकसित होते हैं, और धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के समय यही तापमान होता है।

पूसा डीकंपोजर का खेतों में उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

पूसा डीकंपोजर कैप्सूल (Decomposer Capsules) का उपयोग करके एक 'अपघटक घोल' बनाया जाता है।

अपघटक घोल को 8-10 दिन किण्वित (fermenting) करने के पश्चात तैयार मिश्रण का फसल अपशिष्ट/पराली के शीघ्र जैव-अपघटन के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है।

किसान, चार पूसा डीकंपोजर कैप्सूल, गुड़ और चने के आटे से 25 लीटर अपघटक घोल मिश्रण को तैयार कर सकते हैं, और यह 1 हेक्टेयर भूमि पर छिड़काव करने के लिए पर्याप्त होता है।

जैव अपघटन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 20 दिनों का समय लगता है। इसके बाद किसान पराली को जलाए बिना फिर से बुवाई कर सकते हैं।

पूसा डीकंपोजर के लाभ:

इस तकनीक के प्रयोग से मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होता है क्योंकि पराली फसलों के लिए उर्वरक का काम करती है और भविष्य में कम खाद लगाने की आवश्यकता होती है।

यह फसल-अपशिष्ट / पराली को जलाने से रोकने हेतु एक प्रभावी, सस्ती और व्यावहारिक तकनीक है।

यह पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी तकनीक भी है।

मवेशियों के चारे के रूप में धान की पराली के प्रयोग का प्रस्ताव

पंजाब सरकार ने धान की फसल के अपशिष्ट (पराली) को मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

इस कदम के संभावित लाभ:

पंजाब में हर साल 20 मिलियन टन धान की पराली का उत्पादन होता है। इसका अधिकांश भाग किसानों द्वारा खेतों में जला दिया जाता है, जिससे काफी ज्यादा वायु प्रदूषण होता है जोकि पड़ोसी राज्यों में भी फैल जाता है।

औसतन 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गणना करने पर, इस पराली का कुल मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपये होता है। और यह लगभग सारी पराली खेतों में जला दी जाती है।

आर्थिक नुकसान के साथ-साथ इससे उत्पादित हो सकने वाली 77,000 टन नाइट्रोजन और 5.6 मिलियन टन 'सकल पचनीय पोषक तत्वों' / 'टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स' (TDN) का नुकसान होता है।

20 मिलियन टन धान की पराली में पोषक तत्वों के रूप में, 10 लाख टन कच्चा प्रोटीन (crude protein - CP), 3 लाख टन पचने योग्य कच्चा प्रोटीन (digestible crude protein - DCP), 80 लाख टन सकल पचनीय योग्य पोषक तत्व (Total Digestible Nutrients - TDN) और फास्फोरस होते हैं।

इसलिए, सरकार के इस कदम से वर्ष 2021 की खरीफ सीजन के दौरान पराली दहन को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

चुनौतियां:

धान की पराली को सीधे खेतों से लाकर जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता है।

क्योंकि, इसमें सिलिका और 'काष्ठ अपद्रव्यता' (lignin) की उच्च मात्रा होने की वजह से इसके पाचन गुण कम हो जाते हैं।

धान की पराली में 'सेलेनियम' (Selenium) की मात्रा अधिक होने से भी, गेहूं के भूसे की तुलना में, पशुओं में चारे के रूप में इसका उपयोग सीमित कर दिया जाता है।

धान में ऑक्सलेट (2-2.5%) भी पाया जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है।

इन चुनौतियों से निपटने के तरीके:

यदि धान की पराली को मध्यम मात्रा में (प्रति पशु प्रति दिन 5 किलो तक) दिया

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

जाए, तो सेलेनियम से पशु के स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं होता है।

ऑक्सालेट के प्रभाव को कम करने के लिए, पराली के साथ हमेशा खनिज मिश्रण को खिलाना चाहिए।

अन्य विधियों में, धान की पराली का यूरिया उपचार और यूरिया प्लस शीरा उपचार भी शामिल है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

जीएसटी नेटवर्क द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, 'वस्तु और सेवा कर' (Goods and Service Tax) के तहत पंजीकृत 66,000 व्यवसायों के 14,000 करोड़ रुपये के 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (Input Tax Credit – ITC) को फिलहाल रोक दिया गया है।

पृष्ठभूमि:

केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में, 'जीएसटी नियमों' में एक नया नियम 86A शामिल किया गया था, जिसके तहत कर-अधिकारियों को यदि यह यकीन हो जाता है कि करदाता द्वारा 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) का धोखाधड़ी से लाभ उठाया गया है, तो ये अधिकारी, करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में मौजूद 'आईटीसी' को ब्लॉक करने कर सकते हैं। 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) क्या होता है?

यह किसी कारोबार द्वारा माल की 'खरीद' पर भुगतान किया जाने वाला 'कर' होता है, और माल की बिक्री करने पर 'कर-देयता' (Tax Liability) को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

सरल शब्दों में, इनपुट क्रेडिट का मतलब आउटपुट पर टैक्स देते समय इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को घटाकर शेष राशि का भुगतान करना है।

अपवाद: 'कंपोजिशन स्कीम' के तहत कोई व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए अथवा छूट वाले सामानों के लिए नहीं किया जा सकता है।

इसके दुरुपयोग पर चिंता:

केवल टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली चालान बनाकर बेईमान व्यवसायों द्वारा प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है।

कुल जीएसटी देयता का 80% तक ITC द्वारा निपटान किया जा रहा है और केवल 20% नकद के रूप में जमा किया जा रहा है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत, इनपुट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पहले ही भुगतान किए गए करों और ITC दावों के उसी समय मिलान करने का कोई प्रावधान नहीं उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में ITC दावे और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए करों के साथ मिलान करने के समय में काफी अंतर रहता है। इसलिए फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी का दावा किए जाने की संभावना अधिक रहती है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

हर साल 11 अक्टूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस' (International Day of the Girl Child) के रूप में मनाया जाता है।

यह अवसर किशोर लड़कियों के महत्व को दर्शाता है और उनके लिए अवसर उपलब्ध करके उनकी शक्ति और क्षमता की चिह्नित करने का प्रयास करता है।

19 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था।

'अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस' – 2021 की विषयवस्तु: 'डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी' (DIGITAL GENERATION. OUR GENERATION)।

बीजिंग घोषणा:

सबसे पहले, 'बीजिंग घोषणापत्र' (Beijing Declaration) में बालिकाओं के अधिकारों को चिह्नित किया गया था और इसके लिए बात उठाई गयी थी।

वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित 'महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन' में, भागीदार देशों ने सर्वसम्मति से 'बीजिंग घोषणा' और कार्रवाई मंच को अपनाया था।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

इसके लिए न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे प्रगतिशील रूपरेखा मानी जाती है।

अमृत 2.0

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2025-26 तक 'नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन' (अमृत 2.0) को जारी रखने की मंजूरी दे दी गयी है।

यह निर्णय 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक कदम है, और इसका उद्देश्य 'पानी की सर्कुलर इकोनॉमी' के जरिए शहरों को 'जल सुरक्षित' एवं 'आत्मनिर्भर' बनाना है।

पृष्ठभूमि:

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT), देश का पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसे जून 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को 'नल कनेक्शन' और 'सीवर कनेक्शन' प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था।

इस मिशन के तहत, अब तक 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

'अमृत 2.0' के बारे में:

अमृत 0 (AMRUT 2.0), के अंतर्गत, सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखा गया है।

इसका एक अन्य उद्देश्य, 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है।

मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है।

सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाएं (3R का उपयोग करके अपशिष्ट से संपदा तैयार करना)

सतही और भूजल निकायों के संरक्षण और नवीकरण को बढ़ावा देना।

आंकड़ों पर आधारित 'जल प्रबंधन' प्रशासन नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों और कौशल का लाभ उठाने हेतु प्रौद्योगिकी उप-मिशन।

शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु 'पेय जल सर्वेक्षण' का आयोजन।

पीएम गतिशक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान

हाल ही में देश में 'बुनियादी ढांचे के विकास' हेतु 'पीएम गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM GatiShakti – National Master Plan) का शुभारंभ किया गया है।

इस 'मास्टर प्लान' का उद्देश्य 'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी' को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना है।

'पीएम गतिशक्ति' के बारे में:

'पीएम गतिशक्ति' (PM GatiShakti), एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन हेतु रेलवे और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा।

इसका उद्देश्य, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु समग्र योजना और इनका निष्पादन सुनिश्चित करना है।

प्रदत्त सेवाएँ:

इस पोर्टल पर 200 से अधिक परतों में भू-स्थानिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिसमें सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और टोल प्लाजा जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ जंगलों, नदियों और जिले की सीमाओं के बारे में भौगोलिक जानकारी शामिल होगी, जिससे योजना बनाने और मंजूरी प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। 'पीएम गतिशक्ति' पोर्टल पर विभिन्न सरकारी विभागों के लिए वास्तविक समय में और एक केंद्रीकृत स्थान पर, विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से बहु-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रीय प्रभाव वाली परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा होगी।

महत्व:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य, सभी विभाग के लिए 'एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक-दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रखने और परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान – प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने को सुनिश्चित करना है।

इसके माध्यम से विभिन्न विभाग विविध क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के जरिए अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।

मल्टी- मॉडल कनेक्टिविटी, परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह कदम बुनियादी ढांचे को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा में लोगों को लगने वाले समय को भी कम करेगा।

आवश्यकता:

भारत में अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में पिछले कई दशकों से अनगिनत समस्याएं आड़े आती रही थीं। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का घोर अभाव देखा जाता था।

उदाहरण के लिए, एक बार कोई सड़क बन जाने के बाद अन्य एजेंसियां भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन, इत्यादि बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोद देती थीं। इससे देश की सड़क अवसंरचना और आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।

इसके अलावा, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 13-14% है जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह जीडीपी का लगभग 7-8% रहती है। लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत, अर्थव्यवस्था के भीतर 'लागत संरचनाओं' को प्रभावित करती है, और

निर्यातकों के लिए खरीदारों को माल भेजने के लिए इसे और अधिक महंगा बनाती है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

हाल ही में, 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' 2021 (Global Hunger Index -2021) जारी किया गया है।

भारत का प्रदर्शन:

भारत, 116 देशों की सूची में सात पायदान नीचे 101वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भूख का स्तर 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में है।

दक्षिण एशियाई देशों में, भारत चौथे स्थान पर है। सूचकांक में केवल 15 अन्य देश, भारत से निचले स्थान पर हैं।

बांग्लादेश (76), नेपाल (76) और पाकिस्तान (92), ने सूचकांक में भारत की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2020 के सूचकांक में, भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर था।

हालिया दो दशकों के दौरान, सूचकांक पर भारत के स्कोर में 10 अंकों की गिरावट हुई है।

वैश्विक स्तर पर, 'बाल-दुर्बलता' (Child Wasting) या 'ऊंचाई के अनुपात में कम वजन' मापदंड में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस श्रेणी में भारत का प्रदर्शन जिबूती और सोमालिया से भी खराब रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) क्या है?

'वैश्विक भूख सूचकांक' या 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (GHI) एक सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशन (Peer-Reviewed Publication) है, जिसे प्रतिवर्ष **वैश्विक हंगर हिल्फे (Welt Hunger Hilfe)** तथा **कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide)** द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।

पहली जीएचआई रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2006 में हुआ था।

यह सूचकांक "वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को विस्तारपूर्वक मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक साधन" है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

GHAI में देशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है?

GHAI स्कोर, एक सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें भूख के तीन आयामों- अपर्याप्त कैलोरी सेवन, बाल कुपोषण और बाल मृत्यु दर- को सम्मिलित किया जाता है।

GHAI रैंकिंग निर्धारित करने हेतु '100 अंकों के पैमाने पर' सभी देशों के 'स्कोर' की गणना के लिए चार संकेतकों पर विचार किया जाता है:

अल्पपोषण (UNDERNOURISHMENT): अल्प-पोषित आबादी का हिस्सा जो अपर्याप्त कैलोरी सेवन को दर्शाता है।

बाल-दुर्बलता (CHILD WASTING): पांच वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे, जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।

बच्चों में नाटापन (CHILD STUNTING): पांच वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है। यह दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है।

बाल मृत्यु दर (CHILD MORTALITY): पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर।

प्रत्येक संकेतक और उनके सामूहिक परिणामों के आधार पर एक तीन-चरणीय प्रक्रिया के तहत किसी देश के 'जीएचआई स्कोर' की गणना की जाती है। सूचकांक में 0 से 100 अंकों के मापक पर देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें '0' सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (भूखमरी-मुक्त) तथा '100' सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

सूचकांक में भारत की स्थिति अधिक खराब होने के कारण:

संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और नोवल कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) महामारी की वजह से भारत सहित दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर हुई है।

भारत द्वारा वर्ष 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग को खारिज किए जाने के कारण:

सूचकांक के देश की रैंकिंग में गिरावट दिखाए जाने पर भारत ने 'कार्यप्रणाली' और 'आंकड़ों के स्रोतों' पर सवाल उठाते हुए वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के प्रकाशकों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग 94 थी, जोकि वर्ष 2021 के सूचकांक में गिरकर 101 हो गयी है।

ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग में 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) द्वारा जारी अनुमानों के आधार पर गिरावट की गयी है।

'खाद्य एवं कृषि संगठन' की कार्य-पद्धति को "अवैज्ञानिक" करार देते हुए, भारत ने कहा है, कि "अल्पपोषण (UNDERNOURISHMENT) को वैज्ञानिक तरीके से मापने के लिए 'वजन' और 'ऊंचाई' को मापने की जरूरत होती है, जबकि 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021' की कार्य-पद्धति, टेलीफोन द्वारा किए गए आम जनता के 'गैलप पोल' (Gallup poll) अर्थात 'जनमत निर्धारित करने का मतदान' पर आधारित है"।

इसके अलावा, भारत ने कहा कि "रिपोर्ट में कोविड-काल के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों की, सत्यापन योग्य डेटा भी उपलब्ध होने के बावजूद, पूरी तरह से अवहेलना की गयी है"।

अग्रिम जमानत

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'अग्रिम जमानत' (Anticipatory Bail) दिए जाने के मामले में 'अपराध की गंभीरता' और 'अपराध में आरोपी की भूमिका' जैसे कारकों पर निचली अदालत द्वारा पर्याप्त रूप से विचार नहीं किए जाने का संकेत देने संबंधी पर्याप्त सामग्री होने पर, वरिष्ठ अदालत द्वारा 'अग्रिम जमानत' के आदेश को रद्द किया जा सकता है।

'अग्रिम जमानत' की अवधारणा:

वर्ष 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन करने के दौरान, धारा 438 के तहत 'अग्रिम जमानत' (Anticipatory Bail) का प्रावधान लागू किया गया था।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

गिरफ्तार होने के बाद किसी व्यक्ति को दी जाने वाली साधारण जमानत के विपरीत, अग्रिम जमानत में, व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

समय सीमा: सुशीला अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनाते हुए कहा, कि अग्रिम जमानत देते समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है और यह, मामले की सुनवाई के अंत तक जारी रह सकती है।

महत्व:

एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आधार को प्राप्त संसदीय स्वीकृति की वजह से, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 438 को अधिनियमित किया गया था।

संसद का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को बढ़ावा देना था, और इसके साथ ही, यह आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मौलिक सिद्धांत को प्राथमिकता प्रमुखता प्रदान करना चाहती थी, जिसमें कहा गया है, कि 'जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है'।

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियां:

संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'स्वतंत्रता के अधिकार' के लिए दिए गए अधिमूल्य के मद्देनजर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के लिए, किसी आरोपी को 'अग्रिम जमानत' देने की शक्तियां दी गई हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत किसी आवेदन को मंजूर करने अथवा रद्द करने का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, इस प्रावधान को उदारतापूर्वक पढ़ने और इसके लाभकारी स्वरूप पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालतों के लिए, इन प्रतिबंधों

को, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए।

इस हेतु अदालत, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी इस तरह के आदेश पारित कर सकती हैं।

इस प्रकार के संरक्षोपाय की आवश्यकता:

कोई अभियुक्त, सिर्फ एक आरोपी होने के अलावा, अपने परिवार का मुख्य देखभाल करने वाला या एकमात्र कमाने वाला भी हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी से उसके प्रियजनों को भुखमरी और उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है।

वर्ष 1980 के गुरबख्त सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य मामले में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था, कि धारा 438 (1) की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के आलोक में की जानी चाहिए है।

जैव विविधता संरक्षण पर कुनमिंग घोषणा

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention on Biological Diversity – UNCBD) के पक्षकारों के सम्मलेन (COP) की चीन में जारी 15वीं बैठक में 100 से अधिक देशों द्वारा कुनमिंग घोषणा (Kunming Declaration) को अपनाया गया है।

COP-15 का विषय: "पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण" (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth)।

कुनमिंग घोषणा:

इसमें सभी पक्षकारों से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का आह्वान करता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

यह कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। राष्ट्रों ने 'कुनमिंग घोषणा' को अपनाकर जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिये क्षमता निर्माण कार्य योजना, 2020 के बाद एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन में सहयोग करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया है।

इस घोषणा के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र, महामारी के बाद की रिकवरी नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग में योगदान देने, संधारणीय तथा समावेशी विकास को बढ़ावा दिए जाने को सुनिश्चित करेंगे।

घोषणापत्र में हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों से जैव विविधता योजनाओं को, 'सतत विकास', 'पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली', 'संधारणीय विकास हेतु महासागर विज्ञान' पर संयुक्त राष्ट्र के तीन दशकों के कार्यक्रम के साथ समक्रमिक बनाने की अपेक्षा की जाती है।

जैव विविधता अभिसमय, 1992:

जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity – CBD) 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:

जैव विविधता का संरक्षण

जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग

आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी

जैव विविधता अभिसमय (CBD) को वर्ष 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित 'पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (पृथ्वी शिखर सम्मेलन) के दौरान 5 जून को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

यह अभिसमय एक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क संधि है, और इसे 180 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत कार्य करता है।

इस अभिसमय के अंतर्गत, जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग और उनके स्थायी उपयोग से होने वाले लाभों का समान बंटवारा आदि से संबंधित मामलों को निपटाया जाता है।

यह अभिसमय वर्ष 1993 में प्रभावी है, और इसके तहत आवास संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव सुरक्षा और स्वदेशी लोगों के अधिकार जैसे कई जैव विविधता मुद्दों का समाधान किया जाता है।

30x30 संरक्षण लक्ष्य:

'कुनमिंग घोषणा' में '30x30 लक्ष्य' ('30 by 30' target) की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। इस लक्ष्य को COP15 में प्रस्तुत किया गया था और इसके तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी पर स्थल और महासागरों की संरक्षित भाग के 30% को मूल रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 'घोषणा' में कृषि में रसायनों के इस्तेमाल को आधा करने और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने पर रोक लगाने के लक्ष्य पर भी चर्चा की गई।

बौद्ध तीर्थ नगरी – कुशीनगर

कुशीनगर का ऐतिहासिक महत्व:

कुशीनगर को सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 483 ई.पू. महापरिनिर्वाण (परम मोक्ष) प्राप्त किया था।

वर्तमान कुशीनगर की पहचान प्राचीन मल्ल गणराज्य की राजधानी 'कुशीनारा' के रूप में की जाती है। ईसा पूर्व छठी-चौथी शताब्दी में 'मल्ल गणराज्य' तत्कालीन 16 महाजनपदों में से एक था।

इस क्षेत्र पर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी शासन किया।

'अलेक्जेंडर कनिंघम' और 'ए सी एल कार्लली' (ACL Carlleyle) द्वारा 'कुशीनगर' में पहली बार उत्खनन किया गया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1876 में एक 'मुख्य स्तूप' और बुद्ध की लेटी हुई 6 मीटर लंबी प्रतिमा का पता लगाया था।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

कुशीनगर, भारत के उन गिने-चुने स्थानों में से है जहाँ बुद्ध को लेटे हुए रूप में चित्रित किया गया है।

हालांकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और आठ प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से सात तीर्थ स्थलो भारत में हैं, फिर भी हमारे देश में विश्व में कुल बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक प्रतिशत भी नहीं आ पाता है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम संख्या में पर्यटक आने का प्रमुख कारण बुनियादी ढांचे का अभाव है, और इसी वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से पीछे रह जाता है।

यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की 'विश्व स्तरीय सुविधाएं', बौद्ध पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने में सफल होंगी, और इससे राजस्व तथा रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी।

इसलिए, सरकार का यह नवीनतम कदम देश में महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों को प्रोत्साहन देने में सहायक होगा।

'बौद्ध परिपथ' के बारे में:

केंद्र सरकार द्वारा 'बौद्ध परिपथ' / 'बौद्ध सर्किट' परियोजना की घोषणा वर्ष 2016 में की गयी थी। तब से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत, इस परियोजना के लिए 343 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

'बौद्ध परिपथ', बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने वाला एक मार्ग है। मंत्रालय के मानचित्र में, बौद्ध सर्किट में, बिहार के बोधगया, वैशाली और राजगीर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती और नेपाल के लुंबिनी को शामिल किया गया है।

'माउंट हैरियट' का नाम परिवर्तन

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल 'माउंट

हैरियट' (Mount Harriet) का नाम बदलकर 'माउंट मणिपुर' (Mount Manipur) कर दिया गया है।

'मणिपुर' और 'माउंट हैरियट' का क्या संबंध है?

1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध में महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह सहित मणिपुर के कई लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध के बाद इन सभी को सजा के तौर पर अंडमान निकोबार के सेलुलुर जेल (कालापानी) भेजा गया था।

लेकिन, उस समय तक इस जेल का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से कैदियों को 'माउंट हैरियट' पर रखा गया था। 'माउंट हैरियट' दक्षिण अंडमान जिले की फेरगुंज तहसील में स्थित एक पहाड़ी है।

1891 का आंग्ल-मणिपुर युद्ध- कारण:

'आंग्ल-मणिपुर युद्ध' (Anglo-Manipur War) को मणिपुर के इतिहास में एक विशिष्ट युग माना जाता है। यह युद्ध वर्ष 1891 में 'मणिपुर राज्य' और अंग्रेजों के बीच एक महीने से अधिक समय तक जारी रहा।

इस युद्ध की शुरुआत, मणिपुर के राजमहल में तख्तापलट से शुरू हुई थी और जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। राजमहल में वर्षों से चली आ रही आंतरिक गुटबाजी के चलते 1891 में युद्ध की नौबत आ गयी।

और इसमें, ब्रिटिश सरकार ने शाही परिवार के राजकुमारों के बीच "आंतरिक कलह" का फायदा उठाया।

युद्ध के पहले चरण में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था लेकिन दूसरे चरण में अंग्रेजों ने तीन ओर से इंफाल के कांगला किले पर हमला कर मणिपुर को अपना नया रियासत बना लिया था।

इस युद्ध का महत्व:

कई लोग इस लड़ाई को "ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए आघात" के रूप में वर्णित करते हैं। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, लेकिन इसमें उनके पांच महत्वपूर्ण अधिकारी मारे गए थे।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-6

भारत में, इस युद्ध को सन 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद, ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले आम विद्रोहों का एक हिस्सा माना जाता है।

इस युद्ध के बाद 'मणिपुर', ब्रिटिश ताज के अप्रत्यक्ष शासन के अधीन आधिकारिक तौर पर एक 'रियासत' बन गया।

'माउंट हैरियट' के बारे में:

'माउंट हैरियट' अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ब्रिटिश राज के दौरान यह चीफ कमिश्नर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी।

ऐसा माना जाता है कि इसका नाम ब्रिटिश कलाकार और फोटोग्राफर, हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने वाले एक सैनिक रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर की पत्नी थीं।

बोवाइन मैस्टाइटिस

दुधारू पशुओं में थनैला रोग अर्थात् 'बोवाइन मैस्टाइटिस' (Bovine Mastitis) एक सामान्य संक्रामक रोग है। इससे दूध की गुणवत्ता में गिरावट होती है जिसकी वजह से कृषि उत्पादकता पर असर पड़ता है और आय-सृजन गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

यह एक खतरनाक 'स्तन ग्रंथि संक्रमण' होता है, जोकि दुनिया भर में दुधारू मवेशियों में सबसे आम है।

मैस्टाइटिस का कारण वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस और बैक्टीरिया आदि होते हैं।

थनैला बीमारी पशुओं में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फफूंद एवं यीस्ट तथा मोल्ड के संक्रमण से होता है। इसके अलावा चोट तथा मौसमी प्रतिकूलताओं के कारण भी थनैला हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (International Securities Identification Number – ISIN) 12-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जो विशिष्ट रूप से सुरक्षा की पहचान करता है।

ये संख्याएँ, किसी देश की संबंधित 'राष्ट्रीय संख्यांकन एजेंसी' (National Numbering Agency – NNA) द्वारा आवंटित किए जाते हैं।

'आईएसआईएन' का उपयोग समाशोधन और निपटान सहित कई प्रयोजनों में किया जाता है। ये संख्याएं संस्थागत निवेशकों की संपत्तियों (होलिंग्स) को दुनिया भर के बाजारों में लगातार ट्रेक करने हेतु एक सुसंगत प्रारूप सुनिश्चित करती हैं।

'आईएसआईएन कोड' एकमात्र सामान्य प्रतिभूति पहचान संख्या है जिसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है।